न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निरानी संख्या 07/2013

प्राथी		विप्रार्थीगण
जोगसिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति राजपूत निवासी खिवालीसरा तहसील बायतु	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत नौसर 2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव नौसर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने प्रस्ताव दिनांक 5.9.2013 द्वारा ग्राम पंचायत नौसर।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. श्री हुक्मसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.4.2017

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नौसर द्वारा राजस्व ग्राम खिवालीसरा से नया राजस्व ग्राम मानाबाबा की बाड़ी सृजित करने हेतु पारित प्रस्ताव दिनांक 5.9.2013 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं ग्राम पंचायत नौसर के राजस्व ग्राम खिवालीसरा के एक जाति विशेष के लागो को फायदा पहुंचाये जाने के उद्वेश्य से सरपचं ग्राम पंचायत नौसर द्वारा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव नौसर से मिली भगत कर राजस्व ग्राम खिवालीसरा से नया राजस्व ग्राम मानाबाबा की बाड़ी का गठन करने हेतु वार्डपंचो की बिना सहमति लिये अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव दिनांक 5.9.2013 पारित किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत नौसर से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया गया।
4. अप्रार्थीगण की ओर से श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं दिनांक 22.2.2017 को जवाब पेश किया।
5. प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को वक्त बहस न्यायालय समय समाप्ति तक अलग–अलग समय में तीन बार आवाजे लगाई गई मगर प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हुए। पत्रावली दिनांक 3.8.2016 से बहस में चल रही है। अतः बहस एकतरफा सुनी गई।

6. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि ग्राम पंचायत नौसर के राजस्व ग्राम खिवालीसरा की जनसंख्या एवं क्षैत्रफल को ध्यान मे रखते हुए आम जनता की मांग तथा जनहित में ग्राम पंचायत नौसर द्वारा दिनांक 5.9.2013 को सर्वसम्मति से ग्राम खिवालीसरा में से नया राजस्व ग्राम मानाबाबा की बाड़ी का गठन करने हेतु प्रस्ताव पारित किया जाकर राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4.10.2013 को नया राजस्व ग्राम मानाबाबा की बाड़ी के गठन की अधिसूचना जारी की गई एवं उसका प्रकाशन गजट में करवाया गया। ग्राम मानाबाबा की बाड़ी को नया ग्राम घोषित करने की अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज करने योग्य है।

7. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं ग्राम पंचायत नौसर से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत नौसर के बैठक कार्यवाही रजिस्टर अवधि 1.4.2013 से 6.11.2013 तक में दिनांक 5.9.2013 को राजस्व ग्राम खिंवालीसरा की आबादी एवं क्षैत्रफल काफी बड़ा होने से लोगों को जनसुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसे ध्यान मे रखते हुए उपस्थित सदस्यों ने सर्वसहमति से ग्राम खिंवालासरा में से ग्राम मानाबाबा की बाड़ी या महादेव पुरा के नाम से नया पृथक राजस्व ग्राम के गठन के लिये सम्बन्धित को लिखे जाने का प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया। इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ या हित निहित नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 4.10.2013 जारी की जाकर ग्राम खिंवालीसरा में से मानाबाबा की बाड़ी नया राजस्व ग्राम सृजित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 5.9.2013 को खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 26.4.2017 को खुले न्यायालाय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)